निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद
प्रकरण सं. 99/2016 [illegible]
दायरा दिनांक :- 13.6.2016
निर्णय दिनांक :- 11.7.2017

उनवान

श्रीराम पुत्र रतना जाति गुर्जर निवासी खेड़ी जागीर तह. छीपाबड़ौद

बनाम

1. जगन्नाथ पुत्र देवलाल
2. रामीबाई पुत्री देवलाल जाति मीणा निवासी [illegible] तह. छीपाबड़ौद

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188 RTA

निर्णय दिनांक :- 11.7.2017

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188
आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रार्थी वादी गण के न्याया. में उक्त आशय का पे
किया गया कि आराजी ख.नं. 1196 रकबा 1.02 बीघा, ख.नं. 1197 रक
3.03 बीघा, ख.नं. 1198 रकबा 4.12 बीघा, ख.नं. 1199 रकबा 1.02 बी
ख.नं. 1200 रकबा 1 बीघा किता 5 रकबा 11.09 बीघा मौजा [illegible]
स्थित है जो वादी के खातेदारी व कब्जे काश्त में दर्ज है। उक्त वर्णि
आराजीयात को अपनी खेत मानकर विवादित आराजीयात से वादी
बेदखल कर अपना कब्जा जमाने को आमादा हो रहे है प्रति वा
यह कहते है कि विवादित आराजी [illegible] प्रतिवादी का
का कब्जा है प्रति वादी गण अपने खेत की आराजी ख.नं. 23
156/26 वाके ग्राम खेड़ीजागीर की मेड़ बता रहे है। यह कथन
निराधार है तथा प्रति वादी गण को वादी की उक्त वर्णित आराजी
कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है वादी ने प्रति वादी गण
निवेदन किया कि प्रति वादी गण वादी को विवादित आराजी से
न करे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत
करे तथा ऐसा भी कोई कृत्य न करे जिससे वादी विवादित
से बेदखल हो जाये लेकिन प्रति वादी गण नहीं माने। इन
हालात में वादी के लिए प्रति वादी गण के विरुद्ध वाद ला
आवश्यक हो गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 28.5
को उत्पन्न हुआ जबकि प्रति वादी गण उक्त वर्णित आराजी

लगातार

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां

Scanned by CamScanner

मानपुरा

छीपाबड़ौद जिला बारां (राज०)

(2)

के कब्जे में है, ने वादी को बेदखल कर कब्जा करने का असफल प्रयास किया तथा वादी के मना करने के बावजूद प्रतिवादी गण नहीं माने तथा धमकी दी की वादी को विवादित आराजी से बेदखल कर अपना कब्जा जमा लेंगे लिहाजा सही तिथि विनय [illegible] दावा हाजा करार दी जाती है। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिए समन तलब किया गया। प्रकरण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प [illegible] पर रखा गया। वादी एवं प्रतिवादी गण को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प [illegible] पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किये गये। वादी व प्रतिवादी कैम्प [illegible] पर उप। [illegible] वादी एवं प्रतिवादी का कथन है कि विवादित भूमि की सीमा ज्ञात कर पैमाइश करने के आदेश प्रदान किये जावे। वादी एवं प्रतिवादी दोनों सहमत है। वादी ने कथन पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी उक्त तहसील संवत 2070-73 खाता नं. 443 पेश की गयी। वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उक्त नकल जमाबंदी खाता नं. 443 उक्त तहसील के अनुसार विवादित आराजी वादी श्रीराम पुत्र हल्ला जाति गुर्जर के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादी द्वारा सीमा ज्ञात कर विवादित भूमि की पैमाइश करने पर सहमति व्यक्त की गयी। वादी का वाद सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प [illegible] पर आपसी सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है कि विवादित आराजी स्थित उक्त तहसील के खसरा नं. 1196, 1197, 1198, 1199, 1200 कुल किता 5 रकबा 11.09 बीघा भूमि की सीमा ज्ञात कर पैमाइश करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। बाद पैमाइश प्रतिवादी गण को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे तदनुसार डिक्री पत्र जारी हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

([illegible])
उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद जिला बारां
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद

Scanned by CamScanner

उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां

डिक्री

वाद संख्या 99/16	धारा अंतर्गत 188 RTA	निर्णय दिनांक 11.7.17
समक्ष - श्री हीरालाल मीना (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद		
उपस्थिति - अभिभाषक वादी R P Goyal Adv	अभिभाषक प्रतिवादी	

वाद शीर्षक

श्रीराम पुत्र दल्ला जाति [illegible] निवासी [illegible] तह. छीपाबड़ौद
बनाम
1- जगन्नाथ पुत्र देवलाल
2- रामीबाई पुत्री देवलाल जाति [illegible] निवासी [illegible] तह. छीपाबड़ौद

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तदनुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प [illegible] पर आज पक्षकारों की सहमति के आधार पर स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम [illegible] के खसरा नं. 1196, 1197, 1198, 1199, 1200 कुल किता 5 रकबा 11.09 बीघा [illegible] की टीम गठित कर पैमाइश करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है बाद पैमाइश [illegible] प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वादी के [illegible] एवं कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

साथ ही नियमानुसार..............................रू0 का व्यायानुतोष..............................द्वारा.........................को प्रदान किया जाए

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 11.7.17 को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छीपाबड़ौद, जिला बारां (राज.)

कार्यालय उपजिला मजिस्ट्रेट छीपाबड़ौद जिला बारां (राज.)

व्यायानुतोष

क्र.सं.	व्ययमद	वादी	प्रतिवादी
1.	वादपत्र/लिखित कथन (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लेखन सामग्री व्यय)		
5.	पारीश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		
8.	अन्य मांग पूर्ति		
9.	ब्याज (%)		
10.	योग		

Scanned by CamScanner